न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा0संख्या 80/19 सन् 2019

RCMS NO-2019/ 00112

बउनवानीः—1. तेयबा पुत्र सुलेमान, जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
2. हबीब पुत्र नजीरा, जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
3. सरताज पुत्र नजीरा जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
4. रईस पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
5. आसिफ पुत्र मुमताज जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
6. नफीस पुत्र समीर जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
7. फारूक पुत्र महमूद जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
8. रहमुद्दीन पुत्र बादुल्ला जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
9. नूरदीन पुत्र सोबत अली जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
10. मुजेपर पुत्र इब्राहिम जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर
11. फुरखान पुत्र इब्राहिम समस्त जाति मुसलमान निवासी खाटखुर्द तह0 सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मुन्शा पुत्र छंगा जाति मुसलमान निवासी खाट खुर्द तहसील सवाईमाधोपुर
2. सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील विरूद्ध आदेश सहायक भूप्रबंध अधिकारी मुख्यालय सवाईमाधोपुर की मिसल संख्या 16/1992 निर्णय 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द तहसील सवाईमाधोपुर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री राधेश्याम वैष्णव — वकील अपीलान्ट 1—11
2. श्री शिवचरण सोनी — वकील रेस्पो. 1—5

—: निर्णय :— **दिनांक 23.8.2024**

अपील अपीलान्ट ने सहायक भू प्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4.8.1992 वाके ग्राम खाटखुर्द तहसील सवाईमाधोपुर के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया।

तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि सहायक भू प्रबंधक अधिकारी ने साबिक ख0न0 285 रकबा 14 बिस्वा वाके ग्राम खाटखुर्द हाल ख0न0 442 रकबा 0.18 है0 के संबंध में उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को कोई नोटिस नही दिया ओर ना ही अपीलान्ट से पूछताछ की तथा अपीलान्ट को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया है। क्योकि उक्त आदेश अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे जारी करने का अप्रार्थी संख्या 2 को कोई कानूनी अधिकार नही था। अपीलान्टगण द्वारा कभी भी 5/—रू के स्टॉम्प पर ख0न0 285 रकबा 14 बिस्वा भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 मुंशा पुत्र छंगा के नाम दर्ज करने के लिए लिखकर नही दिया है अपीलान्ट के नाम से अप्रार्थी संख्या 1 मुंशा पुत्र छंगाा ने भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर से मिलकर फर्जी स्टाम्प तैयार कर अपीलान्टगण की भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवाली है। जबकि सहायक भूप्रबंधक अधिकारी को अपीलान्ट की भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 नाम खातेदारी दर्ज किये जाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नही है क्योकि यह अधिकार केवल मात्र [illegible] कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त RBJ(28)2021 Page 686-697 प्रस्तुत किया गया। [illegible] दिया कि उक्त भूमि कभी रेस्पो0 संख्या 1 की खातेदारी व कब्जे काश्त की [illegible] संख्या 1 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:24:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ. खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कोई लेना देना नही है। पूर्व मे अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश की अपील नही कर उक्त आदेश की पालना मे दर्ज फैसल नामा0 संख्या 29 दिनांक 4.8.1992 की अपील पेश की गयी थी जिसमे पारित निर्णय दिनांक 16.8.2019 मे आदेश दिनांक 4.8.1992 को चुनौती दिये जाने के निर्देश दिये जाने पर यह अपील जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के पेश की गयी है। अतः अपील मयाद शुमार फरमायी जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील खारिज किये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है क्योकि रेस्पो0 के पिता छंगा पुत्र ईलाई के नाम गत खसरा नम्बर 291 रकबा एक बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खाट खुर्द के दो खसरा नम्बर 285 रकबा 14 बिस्वा एवं 286 रकबा 8 बिस्वा बनाकर सेटलमेंट विभाग ने 285 रकबा 14 बिस्वा को अपीलान्टगण के खाते मे गलती से दर्ज कर दिया उक्त ख0न0 अपीलान्टगण के खाते में दर्ज हो जाने से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मुन्शा ने सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर के यहॉ दिनांक 31.7.1992 को एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती बाबत प्रस्तुत किया जो धारा 136 राजस्थन लेण्ड रेवेन्यू एक्ट से संबंधित है जिसमे रेस्पो0 द्वारा पैत्रिक आराजी होने का रिकार्ड यथा जमाबन्दी प्रस्तुत की गयी तथा अपीलान्टस ने भी अपनी सहमति का स्टाम्प लिखकर दिया। इस प्रकार सहायक भूप्रबंधक अधिकारी द्वारा मेरिट पर उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 4.8.1992 को निर्णय/आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने के कारण अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा निवेदन किया।

विद्वान वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्को को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि वकील अपीलान्ट द्वारा आदेश जैर अपील को इसलिए विधिविरूद्व बताया गया है क्योकि प्रथम तो जिस सहमति के स्टाम्प के आधार पर रेस्पो0 को खातेदारी दी गयी है वह स्टॉम्प फर्जी है क्योकि अपीलान्टगण द्वारा उक्त ख0न0 की भूमि को रेस्पो0 के नाम खातेदारी दिये जाने बाबत कोई सहमति नही दी गयी है तथा सहायक भूप्रबंध अधिकारी को किसी की खातेदारी अधिकार दिये जाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। इसके विपरीत वकील रेस्पो0 के अनुसार रेस्पो0 के पिता छंगा पुत्र ईलाई के नाम गत साबिक खसरा नम्बर 291 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि वाके ग्राम खाटखुर्द के दो खसरा नम्बर 285 रकबा 14 बिस्वा एवं 286 रकबा 8 बिस्वा बनाकर सेटलमेंट विभाग ने 285 रकबा 14 बिस्वा को अपीलान्टगण के खाते मे गलती से दर्ज हो गया था जिसको सही करवाने हेतु रेस्पोडेन्ट द्वारा दौराने सेटलमेंट सहायक भूप्रबंध अधिकारी सवाईमाधोपुर को दिनांक 31.7.1992 को एक प्रार्थना पत्र इन्द्राज दुरूस्ती का प्रस्तुत कर उक्त अराजी के पूर्व ख0न0 291 रेस्पो0 की पैत्रिक आराजी होने से संबंधित रिकार्ड यथा छंगा के नाम की ख0न0 291 की जमाबन्दी सम्वत् 1992 से 2004 एवं अपीलान्टस द्वारा उक्त भूमि को रेस्पो0 के नाम लगाये जाने बाबत सहमति का स्टाम्प इत्यादि को रिकार्ड पर लिया जाकर सहायक भूप्रबंधक अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। चूंकि उक्त आराजी रेस्पो0 के पिता छंगा की खातेदारी मे रही थी जो अपीलान्टगण के नाम दर्ज हो गयी थी जिसको सहायक भूप्रबंध अधिकारी द्वारा आदेश जैर अपील मे दुरूस्त किया गया है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित नही है। जहॉ तक फर्जी स्टाम्प का प्रश्न है तो अपीलान्ट उक्त स्टाम्प की वैधानिकता की जॉच करवाने हेतु पृथक से कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपील खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.8.2024 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Khushaal Yadav
Date: 2024.09.24 13:24:49 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ खुशाल यादव)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner